दिनांक 26.06.2025	
प्रेस विज्ञप्ति 43/2025	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की भारतीय सेना की मध्य कमान के चीफ ऑफ स्टॉफ से शिष्टाचार भेंट

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से आज दिनांक 26.06.25 को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में लेफ्टिनेंट जनरल AVSM, SM **श्री नवीन सचदेवा,** भारतीय सेना की मध्य कमान के चीफ ऑफ स्टॉफ, मुख्यालय मध्य कमान लखनऊ द्वारा शिष्टाचार भेंट की गयी।

मुलाकात के दौरान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 व भारतीय सेना की मध्य कमान के चीफ ऑफ स्टॉफ के मध्य उत्तर प्रदेश पुलिस और भारतीय सेना के मध्य बेहतर समन्वय, सामरिक महत्व एवं सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गयी तथा प्रतीक चिन्ह भेंट किये गये।

Central to Victory

दिनांक 26.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 44/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा मोहर्रम के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देश

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0 को दिनांकः 27.06.2025 से प्रारम्भ होकर दिनांकः 06.07.2025 को सम्पन्न होने वाले मोहर्रम के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर दिशा–निर्देश दिये गये :–

- प्रत्येक थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर तथा रजिस्टर नं0–8 में उपलब्ध प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाय तथा जुलूस के नये रास्ते/नई परम्परा की अनुमति कदापि न दी जाय।
- विगत वर्षों में अथवा इस वर्ष अभी तक जिन–जिन स्थानों पर किसी प्रकार का विवाद परिलक्षित हुआ हो, वहॉ पुलिस एवं राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अभी से स्थिति का अध्ययन कर लिया जाय एवं विवाद को सुलझाने तथा संवेदनशीलता को दूर करने के लिये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- अधीनस्थ कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि वे अपने बीट में जाकर सभी प्रकार के विवाद आदि की जांच कर ले एवं बीट सूचना प्राप्त होते ही वरिष्ठ अधिकारी मौकों पर जाकर विवाद को समय रहते हल कर लें। आवश्यकतानुसार विभिन्न विवाद के स्थलों, मार्गों का भ्रमण जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक/उप जिलाधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त/क्षेत्राधिकारी द्वारा भी कर लिया जाये।

- असामाजिक/साम्प्रदायिक तत्वों की सूचियों को अद्यावधिक किया जाय और तद्नुसार आवश्यकता पड़ने पर इन साम्प्रदायिक एवं अवॉछनीय तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- मोहर्रम के जुलूस/मजलिस व अन्य आयोजनों से सम्बन्धित अंजुमन व समितियों को सूचीबद्ध कर इनकी गोष्ठी कर ली जाये तथा मोहर्रम के दौरान होने वाले समस्त कार्यक्रमों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु योजना बना ली जाये।
- मोहर्रम की मजलिसों में महिलाओं का आवागमन अधिक संख्या में होता है। प्रातःकाल के समय तथा अंधेरे में भी महिलायें कार्यक्रमों में सम्मिलित होने जाती हैं। इस सम्बन्ध में हॉटस्पाट चिन्हित कर प्रभावी पुलिस व्यवस्थापन किया जाये।
- समस्त जनपदों में प्रातःकाल गश्त/चेकिंग हेतु पुलिस पार्टी नियमित रूप से निकाली जाये। प्रातःकालीन गश्त/चेकिंग पार्टी द्वारा सघन रूप से चेकिंग करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि कहीं पर कोई आपत्तिजनक पोस्टर/सामग्री न लगा हो।
- जुलूसों/कार्यक्रमों के दौरान लोक व्यवस्था के प्रतिकूल, आपत्तिजनक तथा अवैधानिक गतिविधियां न होने पाये। इसके दृष्टिगत कार्यक्रमों की समुचित वीडियोग्राफी करायी जाये, सीसीटीवी कैमरों को सक्रियता पूर्व से सुनिश्चित कर ली जाये तथा ड्रोन कैमरों से चेकिंग करायी जाये।
- मोहर्रम के जुलूसों में भारी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं। जुलूसों में सुरक्षा के लिये योजनाबद्ध रूप से पुलिस प्रबन्ध किया जाये। जुलूस में बॉक्स फार्मेट में चारो तरफ आगे-पीछे व दोनो तरफ पुलिस बल की ड्यिूटी लगायी जाय। जुलूस के आगे-पीछे राजपत्रित अधिकारियों की ड्यिूटी लगायें।
- जनपद के अन्तर्गत विभिन्न शहरों, कस्बों तथा मोहल्लों में पूर्व में गठित शान्ति समितियों की बैठक आयोजित कर सम्भ्रान्त नागरिकों, धार्मिक गुरूओं आदि का सक्रिय सहयोग लिया जाये।
- त्यौहारों पर सार्वजनिक स्थल यथा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले और संवेदनशील/धार्मिक स्थानों पर आवश्यकतानुसार चेकिंग कराते हुये पुलिस बल का व्यवस्थापन कराया जाये।

- स्वान दल, आतंकवाद निरोधक दस्ता एवं बम निरोधक दल के माध्यम से सघन जाँच एवं तलाशी सुनिश्चित की जाये।
- यातायात कदापि न बाधित होने पाये। बैरियर एवं पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाये। मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाये।
- किसी भी धार्मिक कार्य{म/जुलूस के दौरान सार्वजनिक स्थल पर किसी भी दशा में अवैधानिक अस्त्र/शस्त्र का प्रदर्शन न हो। अवैध अस्त्र शस्त्र लेकर चलने वालों के विरूद्ध कड़ी विधिक कार्यवाही की जाये।
- भीड़/दंगा नियंत्रण से सम्बन्धित उपकरणों को तैयारी हालत में रखा जाय, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका तुरन्त उपयोग किया जा सके। सहायक पुलिस आयुक्त/क्षेत्राधिकारियों के कार्यालयों, कमिश्नरेट/जनपद के पुलिस कार्यालयों व परिक्षेत्रीय कार्यालयों में काफी संख्या में पुलिस कर्मी मौजूद रहते हैं। इनको तैयारी हालत में रिजर्व के रूप में रखा जाय और वहीं पर हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर आदि की व्यवस्या रखी जाय, जिससे इन्हें रिजर्व फोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।
- स्थानीय अभिसूचना इकाई के कार्मिकों को सतर्क कर दिया जाय। विभिन्न असामाजिक, अवॉछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाय एवं अभिसूचना इकाईयों के माध्यम से प्राप्त होने वाली लाभप्रद सूचनाओं के आधार पर समय रहते प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- नियंत्रण कक्ष/उप नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से व्यवस्थापित किये जाने तथा त्वरित सूचना प्रेषण एवं उस पर कार्यवाही की सुदृढ़ प्रक्रिया निर्धारित की जाये।
- सोशल मीडिया की राउण्ड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाये। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे–फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित होने पर संज्ञान में आते ही उसे ब्लॉक करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए प्रभावी खण्डन किया जाये।

दिनांक 26.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 45/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विगत 05 वर्ष में मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध उनके आर्थिक नींव को ध्वस्त करने हेतु की गयी कार्यवाही

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस एवं दिनांक 12–26 जून के मध्य नशा मुक्ति जनजागरूकता पखवाड़ा मनाया जाता है।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा एएनटीएफ मुख्यालय के भ्रमण के दौरान नशे के विरूद्ध एक राज्य व्यापी अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक, एएनटीएफ के नेतृत्व में सामाजिक संस्थाओं, स्कूल/कालेजों के छात्र/छात्राओं आदि के सहयोग से सेमिनार, नुक्कड़ नाटक, साइकिल रैली एवं पैदल मार्च के कार्यक्रमों का आयोजन कर युवाओं को नशे के विरूद्ध जागरूक किया गया तथा समाज में नशा उन्मूलन हेतु अपराधियो/अपराध स्थलों की सूचना देने हेतु भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही हेल्पलाइन 1933 के बारे में बताया गया। एएनटीएफ के कर्मियों द्वारा सीधे जनता को हैण्डबिल के माध्यम से भी नशे के विरूद्ध जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार किया गया एवं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा **विगत 05 वर्षों** में 02 **लाख 82 हजार 450 किग्रा** मादक पदार्थों की बरामदगी की गयी जिसका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग **04 हजार 950 करोड़** रुपये है। इस अभियान में NDPS ACT के अन्तर्गत **50 हजार 282** अभियोग पंजीकृत किये गये एवं **57 हजार 965 ड्रग ट्रैफिकर्स** की गिरफ्तारी की गयी। मादक पदार्थ के तस्करों के विरूद्ध प्रदेश पुलिस द्वारा तस्करों से मादक पदार्थ द्वारा अर्जित **382 करोड़ रूपये** की अवैध सम्पत्ति जब्त की गयी।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मादक पदार्थों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु उत्तर प्रदेश में अगस्त 2022 से विशेष इकाई एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा अपनी स्थापना के उपरान्त प्रभावी कार्यवाही करते हुए संगठित गैंगों के विरुद्ध अभियान चलाकर **269 अभियोग** पंजीकृत कराते हुए, **744 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया जिसमें **29 हजार 520 किग्रा मादक पदार्थ** बरामद किया गया जिनका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य **283 करोड़** रूपये है। एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (PIT NDPS) के प्राविधानों का प्रयोग करते हुए **10 माफियाओं** के विरूद्ध निरूद्धीकरण की कार्यवाही की गयी एवं उनके विरूद्ध वित्तीय विवेचना करते हुए अवैध अर्जित **02 करोड़** से अधिक की सम्पत्ति का जब्तीकरण किया गया।

"नशे के खिलाफ लड़ाई केवल क़ानून व्यवस्था का विषय नहीं है, यह हमारे युवाओं और राष्ट्र के भविष्य की लड़ाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को प्रदेश में नशा व्यापार के विरुद्ध एक सशक्त सुरक्षा कवच बनाने के लिए संकल्पित है। लगातार कार्रवाई और जनसहभागिता से चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के माध्यम से हम 'नशा मुक्त उत्तर प्रदेश' की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ अग्रसर हैं।"

राजीव कृष्ण,
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

परिवार से करो प्यार
नशे से करो इंकार ।
हमारा है यह सपना
नशा मुक्त हो देश अपना ।
नशे को न कहें
जीवन को हाँ कहें ।

हमारा है यह सपना
नशा मुक्त हो देश अपना ।
परिवार से करो प्यार

एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स
जीवन को हां कहें,
नशे को ना।

दिनांक 26.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 46/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर जनपदीय पुलिस द्वारा 16 मिनट के अन्दर मौके पर पहुँच कर, बचायी गयी युवक की जान

दिनांक 26–06–2025 को जनपद मथुरा के थाना हाइवे निवासी लगभग 18 वर्षीय युवक द्वारा अधिक मात्रा में गोलियां खाते हुए दिखाकर **"आई लव यू बिटू बाबू"– आज 40 गोली खा ली मैंने, कर लो बात कहीं, मर गया तो मत कहना"** यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 26–06–2025 को 11:18 AM बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए अलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण द्वारा उक्त अलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल युवक की लोकेशन की जानकारी करके जनपद मथुरा को प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना हाइवे के उ0नि0 **16 मिनट के अन्तराल** में युवक के घर पहुंच गए, वहां उनके द्वारा परिजनों से तत्काल युवक के सम्बन्ध में जानकारी कर, उनके सहयोग से अविलम्ब युवक का घरेलू प्राथमिक उपचार किया गया। तत्पश्चात युवक के सामान्य होने पर उससे जानकारी की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि वह दसवीं पास है और घर पर रहकर काम करता है। इंस्टाग्राम पर ही उसका एक लड़की से परिचय हुआ और वह उससे प्रेम करने लगा, किन्तु लड़की के द्वारा किसी अन्य युवक से बात करने के कारण उनका आपस में झगड़ा हो गया था। उक्त कारण क्रोधवश युवक के मन में आत्महत्या का विचार आया और उसके द्वारा यह कदम उठाया गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा समय से पहुँच कर युवक को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउन्सलिंग की गयी, जिसपर युवक द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। युवक के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई–मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। दिनांक 01–01–2023 से 20–06–2025 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर **कुल 1060 व्यक्तियों** के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है ।

एस0टी0एफ0–लगभग 04 वर्षों से फरार रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी प्रदीप राय उर्फ अंकित राय गिरफ्तार।

दिनाक 26–06–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना नन्दगंज, जनपद गाजीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 40/2021 धारा 302/307/34 आई0पी0सी0 में लगभग 04 वर्षों से फरार चल रहे रू0 50,000/–के पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी प्रदीप राय उर्फ अंकित राय को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

प्रदीप राय उर्फ अंकित राय पुत्र स्व0 कृष्णदेव राय निवासी इमीलिया, थाना नन्दगंज, जनपद गाजीपुर

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

प्रयागराज रेलवे स्टेशन। दिनांक 26–06–2025

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में निरीक्षक श्री पुनीत परिहार एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी द्वारा अपनी टीम के साथ अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन हेतु एसटीएफ वाराणसी की टीम प्रयागराज में भ्रमणषील थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि मु0अ0सं0 40/2021 धारा 302/307/34 भादवि थाना नन्दगंज, जनपद गाजीपुर में लगभग 04 वर्षों से फरार चल रहे रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी प्रदीप राय उर्फ अंकित राय उपरोक्त के ट्रेन से प्रयागराज आने की सूचना प्राप्त होने पर मुखबिर को साथ लेकर मुखबिर की निशादेही पर प्रयागराज रेलवे स्टेशन से अभियुक्त प्रदीप राय उर्फ अंकित राय उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभिसूचना संकलन एवं गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ से पाया गया कि प्रदीप राय उर्फ अंकित राय का अपने गांव के पड़ोसी चन्द्रबली यादव से जमीन को लेकर रंजिश चल आ रही थी। इसी रंजिश को लेकर दिनांक 15–02–2021 को प्रदीप राय उर्फ अंकित राय ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पड़ोसी चन्द्रबली यादव की खेत से वापस आते समय गोली मारकर चन्द्रबली यादव की हत्या कर दी गयी। हत्या करने के बाद प्रदीप राय उर्फ अंकित राय अपने मॉ–बाप के साथ फरार हो गया। इस सम्बन्ध में थाना नन्दगंज, जनपद गाजीपुर पर मु0अ0सं0 40/2021 धारा 302/307/34 भादवि पंजीकृत हुआ। घटना के बाद से ही प्रदीप राय उर्फ अंकित राय फरार चल रहा था और दिल्ली और गुड़गांव (हरियाणा) लुकछिप कर रह रहा था। प्रदीप राय उर्फ अंकित राय गुडगांव से किसी काम से प्रयागराज आया था।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप राय उर्फ अंकित राय को थाना नन्दगंज, जनपद गाजीपुर में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0–गैंगेस्टर एक्ट में वांछित पशु तस्कर मोनू शेख उर्फ वाहिद रजा गिरफ्तार।

दिनाकः 25–06–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ताल पर पंजीकृत मु0अ0सं0–241/2024 धारा 2(ख) (i)(xi)(xvii)(xxv)/3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित/फरार पशु तस्करी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य मोनू शेख उर्फ वाहिद रजा को सेक्टर 132 नोएडा, थाना सेक्टर–126, नोएडा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0 से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– मोनू शेख उर्फ वाहिद रजा पुत्र सगीर आलम, ग्राम लाला गुरवलिया, पोस्ट गुरवलिया, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः–

दिनांक 25–06–2025 को समय लगभग 16.00 बजे सेक्टर नं0–132 एटीएस बिल्डिंग नोएडा, थाना सेक्टर–126 नोएडा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में हे0कां0 अशोक कुमार सिंह, हे0कां0 विनय कुमार सिंह, हे0कां0 नसरूद्दीन, हे0कां0 अभिलाष कुमार तिवारी की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–241/2024 धारा 2(ख) (i)(xi)(xvii)(xxv)/ 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित/फरार अभियुक्त मोनू शेख उर्फ वाहिद रजा सेक्टर नं0–132 एटीएस बिल्डिंग थाना सेक्टर–126, नोएडा उ0प्र0 में मौजूद है। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए एस0टी0एफ0 टीम द्वारा मुखबिर की सूचना एवं निषादेही पर अभियुक्त मोनू शेख उर्फ वाहिद रजा को सेक्टर नं0–132 एटीएस बिल्डिंग, थाना सेक्टर–126, नोएडा उ0प्र0 से गिरफ्तार कर लिया गया।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में दिनांक 03–01–2022 की रात्रि करीब 12.30 बजे पीआरवी–0331 गाड़ी संख्या यू0पी0–32–डीजी–0331 में चेकिंग के दौरान एक पिकप की गाड़ी नं0 बीआर–05–जीबी–1380 को रोकने का प्रयास किया गया तो अचानक उक्त पिकप गाड़ी संख्या बीआर–05–जीबी–1380 से मोनू शेख उर्फ वाहिद रजा सहित तीन–चार की संख्या में व्यक्ति उतरे और जान माल की धमकी देते हुए जान से मारने की नियत से पथराव करते हुए अन्धा धुंध फायरिंग करने लगे। पीआरवी कर्मी अपनी जान बचाते हुए गाड़ी से दूर हट गये। उक्त लोगों ने पीआरवी की गाड़ी के अन्दर घुसकर गाड़ी में रखा मोबाइल और करीब 500–600 रुपये नगद कार के डैषबोर्ड से लूटकर गाली गलौज देते हुए पिकअप लेकर भाग गये। उक्त सम्बन्ध में थाना गुलरिहा, जनपद गोरखपुर पर मु0अ0सं0 04/2022 धारा 307, 392, 504, 506, 427, 353, 120बी, 395, 412 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था तथा मोनू शेख उर्फ वाहिद रजा के विरूद्ध रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित हुआ था तथा दिनांक 16–03–2023 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई गोरखपुर द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

जमानत के बाद अभियुक्त मोनू शेख उर्फ वाहिद रजा के विरूद्ध थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर से गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें यह वांछित चल रहा था।

पूछताछ में बताया कि वह जामियां नगर वाटला हाउस दिल्ली में अपने आप को छिप–छिपाकर रह रहा था और बताया कि वह नोएडा की एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में नौकरी कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

मोनू शेख उर्फ वाहिद रजा का आपराधिक इतिहासः

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1.	0877/2020	धारा 380, 411, 457 भा0द0वि0	कसया	कुशीनगर
2.	0020/2021	धारा 380, 411, 457 भा0द0वि0	कसया	कुशीनगर
3.	0041/2021	धारा 380, 411, 457 भा0द0वि0	कसया	कुशीनगर
4.	0042/2021	धारा 380, 411, 458 भा0द0वि0	कसया	कुशीनगर
5.	0017/2021	धारा 379 भा0द0वि0	रामकोला	कुशीनगर
6.	0028/2021	धारा 380, 41, 411, 457 भा0द0वि0	तुर्कपट्टी	कुशीनगर
7.	0030/2021	धारा 60 आबकारी अधिनियम	तुर्कपट्टी	कुशीनगर
8.	0035/2021	धारा 380, 411, 457 भा0द0वि0	पडरौना	कुशीनगर
9.	0004/2022	धारा 307, 504, 506, 427, 353, 120बी, 395, 412 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट	गुलरिहा	गोरखपुर
10.	0061/2022	धारा 3, 5 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 1955, 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधि0 1956 व 307/429 भा0द0वि0	तिवारीपुर	गोरखपुर
11.	0405/2022	धारा 307/34 भा0द0वि0	चौरीचौरा	गोरखपुर
12.	0421/2022	धारा 307/34 भा0द0वि0	चिलुआताल	गोरखपुर
13.	0472/2022	धारा 147, 307, 353 भा0द0वि0	रामगढ़ताल	गोरखपुर
14.	0516/2022	धारा 307, 336, 427, 504, 506 भा0द0वि0	गुलरिहा	गोरखपुर
15.	241/2024	धारा 2(ख) (i)(xi)(xvii)(xxv)/ 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट	रामगढ़ताल	गोरखपुर

एएनटीएफ – दिनांक 25.06.25 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट आगरा जोन आगरा द्वारा उड़ीसा से अवैध गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में तस्करी कर रहे 01 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 272 किलोग्राम गांजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 1.5 करोड), 02 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद आइसर कन्टेनर तथा 10,600/– रूपये नगद बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, लखनऊ, के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक एएनटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ के पर्यवेक्षण में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करनें वाले अपराधियों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक एएनटीएफ यूनिट आगरा के पर्यवेक्षण में एएनटीएफ यूनिट आगरा की टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करनें वाले 01 सक्रिय तस्कर (1.) हरीश कुमार पुत्र श्यामवीर सिंह निवासी ग्राम कुरसण्डा थाना सादावाद जनपद हाथरस को दिनांक 25.06.2025 को समय करीब 19:55 बजे अलवर पुल एन0एच02 थाना हाईवे जनपद मथुरा से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 272 किलोग्राम अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 करोड़ रूपये) 02 अदद मोबाईल फोन, 01 अदद बन्द बॉडी कन्टेनर रजिस्ट्रेशन नम्वर एच0आर0 47 डी 7723 व 10,600/– रूपये नगद बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी । इस सम्बन्ध में थाना हाईवे जनपद मथुरा पर मु0अ0स0 593 /2025 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है ।

पूछताछ का विवरण–

हरीश कुमार ने पूछताछ पर बताया कि संजीव यादव उसकी गाड़ी के ड्राइवर से स्थानीय मैकेनिक काकरौला से गाड़ी के अंदर परिवर्तन कर स्कीम बनवाया गया। अभियुक्त द्वारा संजीव यादव तथा सन्तोष तांडी के साथ एक ग्रुप बनाया गया। इसके उपरान्त अभियुक्त द्वारा अपने साथियों की सहायता से उड़ीसा से 272 किग्रा गांजा लेकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में उसके सप्लाई हेतु जा रहा था कि मार्ग में पुलिस टीम द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. हरीश कुमार पुत्र श्यामवीर सिंह निवासी ग्राम कुरसण्डा थाना सादाबाद जनपद हाथरस

गिरफ्तारी का दिनांक/ समय/ स्थान

दिनांक– 25.06.2025 समय– 19.55, स्थान– एन0एच0 2 अलवर बाजना पुल थाना हाईवे जनपद मथुरा ।

बरामदगी का विवरण–

1. 272 किलोग्राम अवैध गांजा (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 1.5 करोड रूपया)
2. एक अदद बन्द बॉडी कन्टेनर रजिस्ट्रेशन नम्वर एच0आर0 47 डी 7723
3. दो अदद मोबाइल फोन
4. 10,600/– रूपये नगद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण–

ए०एन०टी०एफ० टीम यूनिट आगरा –

1. निरीक्षक श्री हरवेन्द्र मिश्रा एएनटीएफ यूनिट आगरा जोन आगरा ।
2. उपनिरीक्षक गौरव शर्मा एएनटीएफ यूनिट आगरा जोन आगरा ।
3. मु0आ0 आशीष शुक्ला एएनटीएफ यूनिट आगरा जोन आगरा ।
4. मु0आ0 सुधीर कुमार एएनटीएफ यूनिट आगरा जोन आगरा ।
5 मु0आ0 अजीत कुमार एएनटीएफ यूनिट आगरा जोन आगरा ।
6. मु0आ0 लखनलाल एएनटीएफ यूनिट आगरा जोन आगरा ।
7. आरक्षी वशीम अकरम एएनटीएफ यूनिट आगरा जोन आगरा ।

जनपद बस्ती/थाना छावनी

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 26.06.2025 को थाना छावनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बबुरहाकट से पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्तों 1–संतोष कुमार 2–मो0 अफसर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद बस्ती के थाना छावनी पर लूट, डकैती, गैंगेस्टर एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना छावनी पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छावनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संतोष कुमार निवासी हिलालपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

2–मो0 अफसर निवासी पाण्डेयपुरवा, रामनगर तरहर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना मोहाना

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 दो पहिया वाहन**
- **6200/–रूपये नेपाली नगद आदि बरामद**

दिनॉकः 26.06.2025 को थाना मोहाना व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सड्डा तिराहा से 03 अभियुक्तों 1–सुधाकर 2–राजेश 3–अजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 दो पहिया वाहन, 6200/–रूपये नेपाली नगद आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना मोहाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही ळें

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुधाकर निवासी बेतकुईयां थाना मधुबेनिया जनपद रूपनदेही, नेपाल।

2–राजेश निवासी गढ़मोर थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

3–अजय निवासी गोपीजोत थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 10 दो पहिया वाहन।

2–6200/–रूपये नेपाली नगद आदि ।

जनपद फिरोजाबाद/थाना टूण्डला

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 34 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय) कीमत के 62 किलो 728 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 कार (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनॉकः 26.06.2025 को थाना टूण्डला, एसओजी/सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गेल गैस प्लांट पुराना बाईपास गोविन्द पार्क के पास से 02 अभियुक्तों 1–अशोक कुमार 2–राजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 34 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय) कीमत के 62 किलो 728 ग्राम अवैध गांजा, 01 कार (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना टूण्डला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अशोक कुमार निवासी गामा–2 ग्रेटर नोएडा थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।

2–राजीव कुमार निवासी गोलपाण्डेय संदलिपुर छजलेट जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–लगभग 34 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय) कीमत के 62 किलो 728 ग्राम अवैध गांजा।

2–01 कार (बिना नम्बर प्लेट)।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना गगहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना गगहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307/504 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राणा प्रताप को आजीवन कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना सिकरारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना सिकरारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–आशीष 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना रसड़ा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना रसड़ा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मवीर को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————